GOLDEN FORESTS (INDIA) LIMITED NOTICE TO INVESTORS

Investors of Golden Forests (India) Limited, Golden Projects Limited and its subsidiary/associate companies are informed that the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 29.4.2025 passed in W.P. (C) 188 of 2004 titled 'Raiganj Consumer Forum (Regd) Versus Union of India' has fixed the cutoff date as 15.07.2025 for filing fresh claims with the Committee-GFIL.

Therefore, the investors who have not been able to lodge their claims before the Committee-GFIL are given final opportunity to do so on or before 15.07.2025. It is further informed that the claims received after 15.07.2025 shall not be entertained.

The information as to how to file fresh claims and requisite documents can be had from the website of the Committee.www.goldenforestcomittee.com

Committee-GFIL

13.05.2025

VPO Jharmari, Ambala-Chandigarh National Highway-22, Tehsil Dera Bassi, District SAS Nagar (Mohali)-140501 E-mail: committee_gfil@rediffmail.com

गल्डिन फोरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

निवेशकों को सूचना

गोल्डन फोरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, गोल्डन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी/एसोशियेट कंपनियों के निवेशकों को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी) 188 ऑफ 2004 शीर्षक 'रायगंज कंजुमर फोरम (पंजी.) बनाम युनियन ऑफ इंडिया' में पारित अपने आदेश दिनांक 29.04.2025 के अंतर्गत कमेटी-जीएफआईएल के साथ नये दावे दर्ज करने के लिए 15.07.2025 के तौर पर कटऑफ तिथि निश्चित की है।

इसलिए निवेशक जो कमेटी-जीएफआईएल के समक्ष अपने दावे दर्ज करने में अक्षम रहे हैं उन्हें 15.07.2025 को अथवा पहले दर्ज करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। आगे यह सूचित किया जाता है कि 15.07.2025 के पश्चात प्राप्त दावे विचारणीय नहीं होंगे।

नये दावे दर्ज करने के बारे में सूचना और वांछित दस्तावेज कमेटी की वेबसाईट www.goldenforestcomittee.com से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कमेटी-जीएफआईएल

वीपीओ झरमडी. अंबाला-चंडीगढ राष्ट्रीय राजमार्ग-22. तहसील डेरा बस्सी, जिला एसएएस नगर (मोहाली)-145501

ई-मेलः committee gfil@rediffmail.com

13.05.2025